रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-30072021-228625
CG-MH-E-30072021-228625

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 306] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 30, 2021/श्रावण 8, 1943
No. 306] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 30, 2021/SHRAVANA 8, 1943

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 30 जुलाई, 2021

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
(अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2021

सं. सेबी/एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2021/27.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 तथा 12 के साथ पठित धारा 30 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2021 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014 में,-

    I. विनियम 14 में, उप-विनियम (4) में, खंड (ग) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"(ग) आरंभिक प्रस्ताव (इनिशियल ऑफर) और बाद वाले प्रस्ताव (फॉलो-ऑन ऑफर) में किसी निवेशक की ओर से न्यूनतम अभिदान (सब्स्क्रिप्शन) की रकम दस हजार रुपये से लेकर पंद्रह हजार रुपये तक की होगी;"

II. विनियम 16 में, उप-विनियम (9) में, खंड (ख) में, अंक तथा शब्द "100 यूनिटों", शब्दों "एक यूनिट" से प्रतिस्थापित हो जाएँगे ।

III. विनियम 26ख में, उप-विनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-विनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"(3) किसी अवसंरचना निवेश न्यास (इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट) में यूनिटधारकों की न्यूनतम संख्या, प्रायोजक (प्रायोजकों), उसके संबद्ध पक्षकारों (रिलेटेड पार्टीज़) तथा उसके सहयोगियों (सहयुक्तों/ असोसिएट्स) को छोड़कर, पाँच होगी, जिनके पास संयुक्त रूप से हर समय अवसंरचना निवेश न्यास की कुल यूनिटों में से कम से कम 25 प्रतिशत यूनिटें होंगी ।

स्पष्टीकरण.- इस उप-विनियम के प्रयोजनार्थ, यूनिटधारक और उसके सहयोगियों (सहयुक्तों/ असोसिएट्स) तथा संबद्ध पक्षकारों (रिलेटेड पार्टीज़) को एक ही यूनिटधारक माना जाएगा ।"

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./172/2021-22]

<u>पाद टिप्पण</u> :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014, सं. एलएडी/ एनआरओ/जीएन/2014-15/10/1577 द्वारा, 26 सितम्बर, 2014 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014, तत्पश्चात्-

   क. 30 नवम्बर, 2016 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/021, द्वारा

   ख. 15 दिसम्बर, 2017 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/024, द्वारा

   ग. 10 अप्रैल, 2018 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2018 सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/07, द्वारा

   घ. 22 अप्रैल, 2019 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2019 सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/10, द्वारा

   ङ. 2 मार्च, 2020 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2020 सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/05, द्वारा

   च. 17 अप्रैल 2020 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा

   छ. 16 जून, 2020 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/15, द्वारा

संशोधित हुए थे ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 30th July, 2021

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (INFRASTRUCTURE INVESTMENT TRUSTS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2021

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/27.—In exercise of the powers conferred under section 30 read with sections 11 and 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014, namely:-

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2021.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014,-

I. In regulation 14, in sub-regulation (4), in clause (c), the word "amount" shall be inserted after the word "subscription", and the words "be one lakh rupees" shall be substituted with the words "fall within the range of ten thousand rupees to fifteen thousand rupees".

II. In regulation 16, in sub-regulation (9), in clause (b), the words and figures "100 units" shall be substituted with the words "one unit".

III. In regulation 26B, after sub-regulation (2), the following new sub-regulation shall be inserted, namely, -

"(3) The minimum number of unit holders in an InvIT, other than the sponsor(s), its related parties and its associates, shall be five, together and collectively holding at least twenty-five per cent of the total units of the InvIT, at all times.

Explanation. - For the purposes of this sub-regulation, a unit holder along with its associates and related parties, shall be considered as a single unit holder."

AJAY TYAGI, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./172/2021-22]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014 was published in the Gazette of India on September 26, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/10/1577.
2. The Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014 was subsequently amended by the –
    a. Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2016, vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/021, with effect from November 30, 2016;
    b. Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2017, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/024, with effect from December 15, 2017.
    c. Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2018, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/07, with effect from April 10, 2018.

d. Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2019, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/10, with effect from April 22, 2019.

e. Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2020, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/05, with effect from March 02, 2020.

f. Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10, with effect from April 17, 2020.

g. Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Second Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/15, with effect from June 16, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2021.07.30 23:46:13 +05'30'